राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.2(15)वित्त/कर/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक :09-12-2024

–: आदेश :–

विषयः–राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट/रियायत के संबंध में मार्गदर्शन।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट/रियायत के संबंध में आयुक्त, उद्योग विभाग, रीको एवं विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुएः–

1. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ नहीं लिया गया है तो ऐसे भूखण्ड के क्रय पर क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ देय होगा अथवा नहीं।
2. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ लिया जा चुका है लेकिन ऐसे भूखण्ड के आवंटन या लीज को निरस्त कर नये सिरे से किसी बैंक या वित्तीय संस्थान, रीको, RFC या DRT या NCLT आदि द्वारा निलामी द्वारा विक्रय किया जाता है तो क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ देय होगा अथवा नहीं।
3. बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित मामलों में यदि RIPS-2022 के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो लेकिन पंजीयन अधिकारी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत नहीं दी गई हो तो ऐसे मामलों में नियम विरूद्ध वसूल की गई स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय होगा अथवा नहीं।
4. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ लिया जा चुका है और ऐसे भूखण्ड का विक्रय स्वयं भू–स्वामी द्वारा किया जाता है तो ऐसे भूखण्ड के क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ देय होगा अथवा नहीं।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में वित्त विभाग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त विषयों पर पूर्व में जारी सभी पत्रों/आदेशों को supersede करते हुए विधिक स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती हैः–

1. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ नहीं लिया गया है तो ऐसे भूखण्ड के क्रय पर क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ देय होगा।

2. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ लिया जा चुका है लेकिन ऐसे भूखण्ड के आवंटन या लीज को निरस्त कर नये सिरे से किसी बैंक या वित्तीय संस्थान, रीको, RFC या DRT या NCLT,आदि द्वारा पुनर्विक्रय किया जाता है तो क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ देय होगा।
3. बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित मामलों में यदि RIPS-2022 के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो लेकिन पंजीयन अधिकारी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत नहीं दी गई हो तो ऐसे मामलों में नियम विरूद्ध वसूल की गई स्टाम्प ड्यूटी का राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार रिफण्ड देय होगा।
4. एक भूखण्ड जिसके संबंध में पूर्व में किसी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का कोई लाभ लिया जा चुका है और ऐसे भूखण्ड का विक्रय स्वयं भू–स्वामी द्वारा किया जाता है तो ऐसे भूखण्ड के क्रेता को RIPS-2022 या यथास्थिति RIPS-2024 के तहत लाभ देय नहीं होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
7. प्रबंध निदेशक, रीको।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, वित्त (कर अनुसंधान प्रकोष्ठ) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकि निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव